45/2 IV-08/2012

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PR

P 247690

न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)

यह न्यास विलेख श्री गिरीश मिश्र पुत्र श्री डा० रामनरेश मिश्र निवासी 05/324 विकास नगर शहर लखनऊ जिला लखनऊ मुख्य ट्रस्टी द्वारा निम्न प्रकार निष्पादित किया जाता है।

चूंकि दाता की इच्छा है कि नौनिहाल बालक/बालिकाओ के शिक्षण, शैक्षिक, व्यवसायिक प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ किसी उत्तम स्थान पर विद्यालय, महाविद्यालय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु इस विलेख में वर्णित सम्पत्ति को न्यास पर व्यवस्थित करें।

ट्रस्ट का नाम	–	ग्रीन फील्ड एकेडमी एजूकेशनल ट्रस्ट
ट्रस्ट का कार्यालय	–	05/324 विकास नगर, लखनऊ।
ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण भारतवर्ष व देश विदेश

ट्रस्ट के उद्देश्य:–

यह कि दाता इस विलेख में वर्णित सम्पत्ति न्यास के पक्ष में हस्तान्तरित, अन्तरित और अनुदत्त करता है कि वह उसके नीचे वर्णित न्यास के उद्देश्यों के लिए प्राप्त और धारित करे। ट्रस्ट के द्वारा उसका विनियोग दाता के निर्देशो के अनुसार उक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित और पूरित करने के लिये किया जाए और एतद द्वारा सर्वदाकाल के लिए इस

MANAGER
Green Field Academy
Senior Secondary School
Hargaon (Sitapur)

PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AV 447686

(2)

विलेख मे वर्णित उक्त सम्पत्ति मे (आज दिन पश्चात न्यास की विषय वस्तु कहा जायेगा) अपने हित तथा उनके प्रति किसी दावा का त्याग करता है।

1– शैक्षिक, व्यवसायिक, चिकित्सीय, मनोचिकित्सीय विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थाए खोलना, उनका संचालन करना तथा चालू रखना।

2– चरित्रवान एवं शुभ आचरण वाले अध्यापकों, शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करना जो शिष्यों एवं विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान, औद्योगिक व्यवसाय, गवेषणा कार्य, बौद्धिक एवं अन्य उपयोगी वृत्तियों में दक्ष तथा आधुनिकतम् शिक्षण देने के योग्य हो।

3– विद्यार्थियों एवं उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक विकास की ओर स्वस्थ और समालोचन मनोभाव को विकसित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें।

4– विद्यार्थियों तथा उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के लिए छात्रावास स्थापित करना तथा उसे चलाना।

5– न्यास की विषयवस्तु का इस प्रकार विनिधान, व्ययन अन्तरण या अन्य लेन–देन करना जैसा कि न्यासीकरण ठीक समझे ताकि न्यास के उद्देश्यो को प्रभावशाली रूप से कार्यन्वित कर सकें।

6– दान, अनुदान, उपहार तथा अन्य भेंटों को स्वीकार करना तथा उन्हें न्यास के प्रयोजनो के लिए व्यवहार मे लाना।

7– इस विलेख के अधीन संस्थापित एवं स्थापित किये जाने वाले संस्थाओं के संधारण और देखरेख मे होने वाले व्यय तथा अन्य परिव्ययो की पूर्ति के लिए संयत शिक्षा शुल्क लेना।

Raina

MANAGER
Green Field Academy
Senior Secondary School
Hargaon (Sitapur)

PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 447687

8– शिष्यो को इस प्रकार प्रशिक्षित और सन्नद्ध करना कि वे शिष्ट और सम्मान जीवन पथ अपनाने के लिए आत्मनिर्भर हो सके और अच्छे और स्वस्थ प्रगतिशील नागरिक बन सके।

9– ट्रस्ट को शिक्षण, संस्थाये, शोध केन्द्र, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग, टेक्निकल प्रबन्धन कालेज, डेन्टल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, फार्मेसी संस्थाये, पैरामेडिकल कालेज एवं अन्य उच्च समस्त प्रकार की शिक्षा संस्थाये आदि को संस्थान के नियमानुसार स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार होगा।

10– ट्रस्ट को हास्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेन्सरी क्लीनिक, डायग्नोस्टिक रिसर्च सेन्टर, योग एवं आयुर्वेदिक सेन्टर आदि जो न्यास निर्णय से, स्थापित करने व संचालित करने का अधिकार होगा।

11– ट्रस्ट को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं विदेशी सरकार मिशन द्वारा स्वीकृत योजना को जनहित मे संचालित करने का अधिकार होगा।

12– ट्रस्ट द्वारा सेमिनार, कान्फ्रेन्स प्रदर्शन आदि के द्वारा पीड़ित मरीजो को सहयोग एवं सलाह देना।

13– ट्रस्ट द्वारा ग्रामोद्योग की स्थापना कर उ0प्र0 व भारत सरकार के सहयोग से संचालित करना।

14– ट्रस्ट द्वारा जनहित के कार्यों हेतु ऐसा कार्य करना जो ट्रस्टीगण निर्णय लें।

15– ट्रस्ट को भारत सरकार, राज्य सरकार, सासदों विधायकों स्थानीय निकायों आदि के निधियो के सहयोग से विभिन्न संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार होगा।

Raing

MANAGER
Green Field Academy
Senior Secondary School
Hargaon (Sitapur)

PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 447688

18 OCT 2011

(4)

16– न्यासीगण संस्था की अनुशंसा पर ऐसी वृत्तियो और छात्रवृत्तियां ऐसे निबन्धनों पर जैसे कि वह उचित समझे दे सकेगा जो कि न्यास की विषय वस्तु की आय के सामानुपातिक हो।

17– किसी न्यासी की मृत्यु/अक्षमता के कारण उसका उत्तराधिकारी न्यासी मण्डल में होने वाली रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। यह व्यवस्था सदस्यों हेतु नहीं होगी।

18– न्यास के प्रशासन में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का निर्णय तत्सामय का कार्यकारी न्यासियों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

19– न्यासीगण न्यास की विषयवस्तु के निकाय में से या उसके किसी भाग के विक्रय के आगम में से ऐसी धनराशि जैसे कि न्यासियों द्वारा सर्वसम्पत्ति से संकलिप्त की जाए, भवन आदि के निर्माण में तथा अन्य पूंजीगत व्यय करने के लिए खर्च कर सकेंगे।

20– न्यास समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम व भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अधीन नियमित निकाय है जो उसके नियमों और उपनियमों द्वारा अधिशासित होगा।

21– न्यास नयासियों के शुल्क अनुदान, उपहार दान तथा अन्य धनराशियों का जो उसे प्राप्त होगी लेखा देगी और किसी स्रोत से प्राप्त होने वाली निधियों के बारे में न्यासियों के निर्देश का पालन करेगी।

22– जब तब न्यासकर्ता जीवित रहे और इस मामले में काम करने के योग्य रहे तब तक वह न्यासियों में एक न्यासी रहेगा और न्यासियों तथा न्यास की समस्त बैठकों का सभापतित्व करने का अधिकारी होगा उसका निर्णय मत भी होगा।

MANAGER
Green Field Academy
Senior Secondary School
Hargaon (Sitapur)

PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

23— ट्रस्ट के सम्पत्ति को क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थाओं को देने का अधिकार होगा। यह कि ट्रस्टीगणों को यह अधिकार इस विलेख द्वारा प्रदत्त किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण एवं बैंक गारन्टी प्राप्त करने हेतु ट्रस्ट की वर्तमान व भविष्य में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति को संयुक्त रूप से मूल विक्रय विलेख आदि बैंक में रखकर बंधक (Morgtage) कर सकेंगे।

24— ट्रस्ट को अपनी संस्थाओं को संचालित करने के लिये बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों, अन्य संस्थाओं, समितियों, व्यक्तियों तथा प्राइवेट कम्पनियां से ऋण एवं बैंक गारन्टी लेने का अधिकार होगा। ट्रस्ट को अधिकार होगा कि बी०एम०एस०, एम०बी०बी०एस, फार्मेसी व इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण, भवन निर्माण व अन्य उपकरण हेतु बैंक गारन्टी आवश्यतानुसार समय–समय प्राप्त कर सकेंगे। ट्रस्टीगण ऋण एव बैंक गारन्टी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त कर सकेंगे।

25— ट्रस्ट को सामान्य बैठक वर्ष में एक बार अथवा आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों के 1/3 संख्या की मांग पर किसी भी समय बैठक आहूत करने का अधिकार होगा।

26— यदि कोई समिति (संस्था) ट्रस्ट में विलय होना चाहे तो ट्रस्ट को अधिकार पूर्ण होगा कि वह संस्था को अपने विलय कर ले।

27— न्यास के न्यासीगण की ट्रस्ट का प्रबन्धन करेंगे इसके अतिरिक्त न्यास की सहमति से बाहरी व्यक्ति जो न्यास के हित में हो को रू० 51000/— से आजीवन सदस्य बना सकता है।

28— न्यासी बोर्ड में पदाधिकारियों का चयन न्यासीगणों के द्वारा बहुमत से किया जायेगा।

29— ट्रस्ट के राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण एवं बैंक गारन्टी प्राप्त करने पर बैंक के सिक्योरिटी दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों पर ट्रस्ट के अध्यक्ष/सचिव संयुक्त या एकल रूप से हस्ताक्षर करेंगे।

30— ट्रस्ट की चल–अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति ट्रस्टीगणों के दान द्वारा ट्रस्ट के आजीवन सदस्यों व अन्य सदस्यों व समाजसेवियों द्वारा दान से प्राप्त (acquire) होगी एवं क्रय भी की जा सकती है व पट्टे पर भी ली जा सकती है।

31— ट्रस्ट मानव समाज के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना, कृषि कार्य करना, शिक्षण संस्थान संस्थापित करना।

32— ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं का नामकरण करके उसकी स्थापना करना एवं अलग–अलग शिक्षण संस्थाओं की अलग अलग कमेटी गठित करके संचालित करना। ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप न कार्य करने की दशा में उक्त कमेटी को भंग कर सकता है।

Raing

MANAGER
Green Field Academy
Senior Secondary School
Hargaon (Sitapur)

PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

CamScanner

ट्रस्ट धन का विनियोग–

1– ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विधान के अनुसार किया जायेगा।

2– उपयुक्त उददेश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना, सहायता लेना व देना व ब्याज सहित ऋण लेना व देना, जायदाद खरीदना व बेंचना निर्माण करना, रेहन रखना, लीज पर लेना व देना, बैंक व्यवहार व अन्य जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें करना।

3– ट्रस्ट उददेश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से दान व चन्दा, क्रय–विक्रय एवं विनिमय पट्टा किराये पर या अन्य किसी प्रकार के भूखण्ड, भवन या कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना या उससे व्यवसाय करना, विक्रय प्रबन्ध, हस्तान्तरण , दृष्टिबन्धक किसी भी भाति निपटाना या अन्य किसी भी प्रकार से उपयोग में लेना।

4– मुख्य ट्रस्टी द्वारा इस ट्रस्ट मे इस समय धनराशि रू0 11000/– निहित की जाती हैं।

ट्रस्ट मण्डल–

1– ट्रस्ट का स्थायी बोर्ड होगा जिसमें सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 2 से कम और 5 से अधिक न होगी इन्हीं स्थायी सदस्यो में से पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। ट्रस्ट में अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति भी आवश्यकतानुसार की जा सकेगी। ऐसे सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति से एक वर्ष का होगा, परन्तु उनकी पुनः नियुक्ति भी सम्भव होगी।

2– ट्रस्ट की स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ही की जा सकेगी। अध्यक्ष/मुख्य न्यासी जीवनपर्यन्त पद पर रहेंगे।

3– स्थायी न्यासियों में से किसी का स्थान रिक्त होने पर उनके स्थान पर पुनः नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ही की जा सकेगी। किसी भी स्थायी सदस्य को हटाने का निर्णय ट्रस्ट मण्डल के बहुमत से होगा।

4– ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिये किसी सरकारी, गैर सरकारी अथवा वित्तीय संस्थान बैंक से सहायता ऋण लेने की दशा में ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा वह जिसको नामित करें वह सचिव के साथ संयुक्त रूप से समस्त दस्तावेजों का निष्पादन कर सकेगा।

5– ट्रस्ट के मण्डल में कोई भी पद किसी भी कारण से रिक्त होता है तो वह अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति से ही भरा जायेगा।

6– ट्रस्ट मण्डल के मध्य निर्णय या किसी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जा सकता है जो अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

7– ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिए सभी निर्णयों एवं कार्यों का क्रियान्वयन ट्रस्ट के सचिव के द्वारा ही किया जायेगा।

8– किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत देने का विशेषाधिकार होगा। अस्थायी ट्रस्टियों की भूमिका मात्र परामर्श देने की रहेगी तथा उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

9– ट्रस्ट के विधिक कार्यो की देखरेख के लिए अधिवक्ता नियुक्त रहेगा।

Raina

MANAGER
Green Field Academy
Senior Secondary School
Hargaon (Sitapur)

PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

CamScanner

10– ट्रस्ट के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव का कार्यकाल आजीवन होगा और उसके मरणोपरान्त उसका उत्तराधिकारी की ही नियुक्ति होगी।

11– **निम्नलिखित परिस्थितियां उत्पन्न हाने पर ट्रस्ट का पद रिक्त माना जायेगा।**

अ– त्याग पत्र देने एव अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने पर।

ब– नैतिक पतन से सम्बद्ध अपराध में सजा हो जाने पर।

स– मन एवं बुद्धि अथवा शारीरिक रूप से अक्षम हो जाने पर।

द– दिवालिया घोषित होने पर।

य– मृत्यु हो जाने पर।

ट्रस्ट के निम्नलिखित स्थाई सदस्य एवं पदाधिकारीगण तथा ट्रस्ट मण्डल होंगे

ट्रस्टीगणों का विवरण:–

क्र0 सं0	नाम व पता	आयु	पद
1	श्री गिरीश मिश्र, पुत्र डा0 रामनरेश मिश्रा 5/324 विकासनगर, लखनऊ	55	अध्यक्ष/मुख्य न्यासी
2	डा0 मधुसूदन दीक्षित, पुत्र श्री बाबूलाल दीक्षित 5/324	61	सेक्रेटरी
3	श्रीमती रत्ना मिश्रा, पत्नी श्री हरीश मिश्र हरगांव सीतापुर, उ0प्र0।	45	कोषाध्यक्ष
4	रैना मिश्रा पुत्री श्री बृजेश कुमार मिश्र हरगांव गंज, सीतापुर।	45	सदस्य
5	श्री शम्भूदत्त द्विवेदी, पुत्र गोवर्धनदत्त प्रसाद 276/8, पानदरीबा, लखनऊ।	72	सदस्य

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी कर्मचारी/सदस्य मैनेजमेन्ट कमेटी की वैतनिक, अवैतनिक नियुक्ति/पदच्युत करना।

2– ट्रस्ट की नीतियों का निर्धारण करना।

3– ट्रस्ट की वार्षिक बजट की स्वीकृति देना।

4– लेखा पुस्तकों, आय–व्यय, खाता चिट्ठा एवं आडिटर की रिपोर्ट विचार व स्वीकृति देना एवं अगले साल के लिसे आडिटर की नियुक्ति करना।

5– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट एवं ट्रस्ट द्वारा सचालित संस्थाओं हेतु उनकी सम्पत्तियों पर ऋण का लेन देन करना रहन रखना, पटटा लेना व देना चल अचल सम्पत्तियों का क्रय विक्रय निर्माण आदि करना या करवाना।

6– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये देश–विदेश से सहायता लेना व देना।

7– ट्रस्ट की बैठकें आयोजित करना या कराना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

8– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञों को ट्रस्ट का सदस्य बनाना।

Raina

MANAGER
Green Field Academy
Senior Secondary School
Hargaon (Sitapur)

PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

CamScanner

9– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये गये सभी प्रकार के व्यय को ट्रस्ट से प्राप्त करने का अधिकार होगा।

10– ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किसी भी प्रकार के ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सरकारी या गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना या कराना।

सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– अध्यक्ष की परामर्श से ट्रस्ट मण्डल की बैठक आयोजित करना।

2– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पत्र व्यवहार करना।

3– वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

4– लेखा पुस्तकों तैयार करना व कराना।

5– ट्रस्ट की सभी गतिविधियों से ट्रस्ट मण्डल को अवगत कराना।

6– ट्रस्ट के उद्देश्यों की लिए धन संग्रह करना।

7– ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये भी प्रकार के ऋण लेने अथवा किसी भी प्रकार के सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना।

8– ट्रस्ट के पक्ष में अपने हस्ताक्षर से ट्रस्ट हित में जमीन, जायदाद, खरीदना, विक्रय करना, बंधक रखना, बैंक से केश क्रेडिट कार्ड बनवाना, बैंक डिपाजिट करना।

9– ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी प्रकार के कानूनी मामलों को अध्यक्ष के निर्देशानुसार स्थायी उपरोक्त अधिवक्ता को देखने एवं निस्तारण कराने के लिये निर्देशित करना।

10– अन्य सभी कार्य जो ट्रस्ट मण्डल द्वारा सौंपे जायें।

11– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं का नामकरण करके उसकी स्थापना करना एवं अलग अलग शिक्षण संस्थाओं की अलग अलग कमेटी गठित करके संचालित करना। ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के उद्देश्यो के अनुरूप न कार्य करने की दशा में उक्त कमेटी को भंग कर सकता है।

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– ट्रस्ट के द्वारा अर्जित किये गये आय एवं व्यय का हिसाब–किताब रखना।

2– लेखा–पुस्तकों को आडिट कराना एवं ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।

3– वार्षिक बजट तैयार करके ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना एवं अध्यक्ष से स्वीकृति कराना।

4– ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये धन संग्रह करना।

5– ट्रस्ट मण्डल की सभी बैठकों में उपस्थित रहना।

6– ट्रस्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किसी प्रकार का ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना।

7– अन्य सभी कार्य जो अध्यक्ष द्वारा सौंपे जायें।

Raina
MANAGER
Green Field Academy
Senior Secondary School
Hargaon (Sitapur)

PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

ट्रस्ट के कोषों का संचालन–

1– ट्रस्ट के सभी कोषों एवं बैंक खातों का संचालन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

2– ट्रस्ट का खाता किसी भी सहकारी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा।

ट्रस्टमण्डल के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना करवाने, जिसमें सामान्य एवं उच्च तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये स्थान इत्यादि को तलाश करके ट्रस्ट की सहायता करना।

2– ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों को विधिपूर्वक सम्पन्न कराने में मदद करना।

ट्रस्ट की बैठक–

1– वर्ष में कम से कम एक बार ट्रस्ट की बैठक अवश्य बुलाई जायेगी। इसके लिये सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना देनी होगी।

2– आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा 24 घन्टे की सूचना पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

वित्तीय वर्ष–

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होकर प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा।

बैंक एकाउन्ट–

अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के नाम पर किसी भी सहकारी बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोला जायेगा जिसका संचालन ट्रस्ट के सचिव या अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा ट्रस्ट मण्डल से नामित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

घोषणापत्र में संशोधन–

ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपरोक्त घोषणा पत्र में समय समय पर संशोधन/परिवर्तन, परिवर्धन अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। मैं एतदद्वारा साक्षीगणों की उपस्थिति में नीचे अपने हस्ताक्षर कर इस ट्रस्ट के घोषणा पत्र का निष्पादन करता हूँ।

न्यासीगण (ट्रस्टीगण) की स्वीकृति

यह कि उपरोक्त ग्रीन फील्ड एकेडमी एजूकेशनल ट्रस्ट कार्यालय 5/324 विकासनगर, लखनऊ की न्यासीगण न्यास संविधान नियमावली के अनुसार कार्य करने के हेतु वचनबद्ध है एवं बिना बाहरी दबाव के स्वस्थ मनःस्थिति से आज दिनांक 5-1-2012 द्वारा न्यासीगण बनना स्वीकार करते है। अतः न्यास सर्वजन हिताय हो, बहुजन सुखाय हो।

Raina

MANAGER
Green Field Academy
Senior Secondary School
Hargaon (Sitapur)

PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

पट्टा पत्र

फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
110.00	20	130.00	1,000

[illegible]

[illegible]
[illegible] गिरीश मिश्र
[illegible] डा० राम नरेश मिश्र
[illegible] कृषि
[illegible] 09/324 [illegible] लखनऊ

[illegible] दिनांक 6/1/2012 समय 1:48PM

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मनोज कुमार श्रीवास्तव
उप-निबन्धक तृतीय
लखनऊ
6/1/2012

[illegible]

[illegible] गिरीश मिश्र
पु० श्री डा० राम नरेश मिश्र
[illegible] कृषि
[illegible] 09/324 [illegible] लखनऊ

[illegible]
[illegible] श्री आलोक मिश्र
[illegible] रविन्द्र नाथ मिश्र
[illegible] शिक्षक
[illegible] ग्रीन फील्ड एकडमी श्यामनगर लखीमपुर खीरी
राजेश कुमार जायसवाल
[illegible] जायसवाल
[illegible]
हरगाँव जिला सीतापुर

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मनोज कुमार श्रीवास्तव
उप-निबन्धक तृतीय
लखनऊ
6/1/2012

Raing
MANAGER
Green Field Academy
Senior Secondary School
Hargaon (Sitapur)

PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

CamScanner

क्र0 स0	नाम व पता	आयु	पद
1	श्री गिरीश मिश्र, पुत्र डा0 रामनरेश मिश्रा 5/324 विकासनगर, लखनऊ	55	अध्यक्ष/मुख्य न्यासी
2	डा0 मधुसूदन दीक्षित, पुत्र श्री बाबूलाल दीक्षित 5/324 विकास नगर, लखनऊ।	61	सेक्रेटरी
3	श्रीमती रत्ना मिश्रा, पत्नी श्री हरीश मिश्र हरगांव सीतापुर, उ0प्र0।	45	कोषाध्यक्ष
4	रैना मिश्रा पुत्री श्री बृजेश कुमार मिश्र हरगांव गंज, सीतापुर।	45	सदस्य
5	श्री शंभूदत्त द्विवेदी, पुत्र गोवर्धनदत्त प्रसाद 276/8, पानदरीबा, लखनऊ।	72	सदस्य

लखनऊ/दिनांक– 6.1-2012

मुख्यन्यासी

साक्षीगण–

1– Alok Mishra S/o R.N. Mishra
Green Field Academy
Shyam Nagar, Lakhimpur-Kheri

2– Om Prakash Srivastava Advocate Lakhimpur Distt Kheri (U.P.)

Drafted by :– (O.P. Srivastava)
Advocate
Lakhimpur Distt Kheri (U.P.)

Raina
MANAGER
Green Field Academy
Senior Secondary School
Hargaon (Sitapur)

PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

आज दिनांक 06/01/2012 को

बही सं. 4 जिल्द 349

पृष्ठ 163 से 184 पर क्रमांक 8

रजिस्ट्रीकृत किया गया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मनोज कुमार श्रीवास्तव
उप-निबन्धक तृतीय
लखनऊ
6/1/2012

Raina

MANAGER
G[illegible]demy
Se[illegible]chool
Ha[illegible])

PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

Ph. 09838610203

ग्रीन फील्ड एकेडमी एजुकेशनल ट्रस्ट

अशोका पब्लिक स्कूल, साईं नगर, छठा मील, लखनऊ

पत्रांक - .... दिनांक - 15/09/2022

सत्य प्रतिलिपि

आज दिनांक 15/09/2022 दिन बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 10 बजे ग्रीन फील्ड एकेडमी एजुकेशनल ट्रस्ट, लखनऊ की बैठक में सचिव डॉ0 मधुसूदन दीक्षित, कोषाध्यक्ष श्रीमती रत्ना मिश्रा, वरिष्ट सदस्य श्रीमती रैना मिश्रा एवं श्री हरीश मिश्रा उपस्थित रहे। यह बैठक ग्रीन फील्ड एकेडमी, हरगांव में आहुत हुई। उपस्थित सभी सदस्यों ने इस बैठक की अध्यक्षता हेतु ट्रस्ट के सचिव डा0 मधुसूदन दीक्षित से अनुरोध किया जिसे सचिव डॉ0 मधुसूदन दीक्षित ने स्वीकार कर लिया। इस बैठक में 5 में से 4 लोग उपस्थित रहे बैठक का कोरम पूरा रहा।

प्रस्ताव सं0 1– पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि–
सर्वप्रथम बैठक में ट्रस्ट के सचिव डॉ0 मधुसूदन दीक्षित ने पिछली बैठक की कार्यवाही उपस्थित ट्रस्टी गणों के सम्मुख सस्वर पढ़कर सुनायी। सभी सदस्यों ने प्रस्ताव को ध्यान पूर्वक सुना तथा समर्थन करते हुये, प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया।

प्रस्ताव सं0 2– श्री गिरीश मिश्रा सुपुत्र डॉ0 रामनरेश मिश्रा जो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। उनके निधन हो जाने से व्यक्ति रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सचिव डॉ0 मधुसूदन दीक्षित एवं सदस्य श्री हरीश मिश्रा ने यह प्रस्ताव सभी उपस्थित ट्रस्टी जनों के सम्मुख रखा कि श्री गिरीश मिश्रा के निधन से हुये रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती रैना मिश्रा को नामित किया जाए, जो भविष्य में श्री गिरीश मिश्रा द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी अधिकार एवं कर्तव्यों को निष्पादित करेंगी। इस प्रस्ताव को कोषाध्यक्ष श्रीमती रत्ना मिश्रा ने सहमति प्रदान की तथा उपस्थित सभी सदस्यों/पदाधिकारियों ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समर्थन करते हुये पारित किया।

प्रस्ताव सं0 3– ट्रस्ट के सचिव डॉ0 मधुसूदन दीक्षित ने यह भी प्रस्ताव किया कि आज दिनांक 15/09/2022 से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार एवं बैंक आदि के खातों का संचालन (आहरण एवं वितरण) का पूर्ण दायित्व श्रीमती रैना मिश्रा पत्नी स्व0 गिरीश मिश्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में निर्वाह करेंगी। इस प्रस्ताव का अनुमोदन एवं समर्थन उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया। इसके पश्चात कोई अन्य प्रस्ताव इस बैठक में नहीं आया। उक्त कोई प्रस्ताव न आने के कारण सचिव महोदय डॉ0 मधुसूदन दीक्षित जो आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे है ने सभी ट्रस्टीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्ति की घोषणा की।

सत्य प्रतिलिपि

1 डॉ0 मधुसूदन दीक्षित

2 श्रीमती रैना मिश्रा Raina

Raina
MANAGER
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

3 श्रीमती रत्ना मिश्रा Ratna Mis

4 श्री हरीश मिश्रा हरीश मिश्र

PRINCIPAL
GREEN FIELD ACADEMY
HARGAON-SITAPUR

CamScanner